




# फर्द अहकाम

मगवान सिंह

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी,  
(उप खण्ड अधिकारी), सांगानेर

अपील संख्या 07/2017

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पोंड जारी हो। टिप्पणी रेस्पों. तलब होकर पत्रावली दिनांक 14.06.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अति. कलक्टर (द्वितीय)</b>  <b>जयपुर</b> </p> <p>पत्रावली पेश हुई कोई सुपरीखात नहीं है। रिपयडी अपील युक्त तहरीर होकर दिनांक 27-06-17 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अति. कलक्टर (द्वितीय)</b>  <b>जयपुर</b> </p> <p>पत्रावली पेश हुई कोई सुपरीखात नहीं। राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर की रिपयडी दिनांक 9-6-17 प्राप्त। शामिल मिरुल रही। पत्रावली का अनुलोमन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी की रिपयडी लं जाहिर होता है कि संश्लिखत सूचना निर्धारित अवधि से प्रार्थी को दी गई। प्राप्त सूचना की प्रति कुपीलाट को भेजी जावे। कुपील खाट हिन होने से शकित को पत्रावली की निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>अति. कलक्टर (द्वितीय)</b>  <b>जयपुर</b> </p>	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>5706/2017 पदिका 2093 9-6-17</p> <p>सांगानेर याह</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>पदिका 1836-37 04-7-17</p> </div>

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति. कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

दिनांक:- आर.ए./17/ 1836


दिनांक : 04-06-2017

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर,  
जयपुर।

विषय :- आर.टी.आई अपील संख्या 07/2017 उनवानी भगवान सिंह बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर में निर्णय दिनांक 27.06.2017 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त उनवानी प्रकरण में न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अति. कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 27.06.2017 को निर्णय किया गया है। अतः निर्णय दिनांक 27.06.2017 की सत्यप्रतिलिपि संलग्न कर निर्णयानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार

  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
एवं अति० कलक्टर (द्वितीय),  
04 जयपुर।


रजिस्टर्ड ए.डी.

आर.ए./17/ (1837

दिनांक : 04-06-2017

अपीलार्थी श्री भगवान सिंह, निवासी-78, हरि मार्ग, सिविल लाईन्स जयपुर-302006 को निर्णय दिनांक 27.06.2017 की सत्यप्रतिलिपि सहित सूचनार्थ।

उपरोक्तानुसार

  
प्रथम अपीलीय अधिकारी  
एवं अति० कलक्टर (द्वितीय),  
04 जयपुर।